

प्रेषक,

कुमार मयंक,
विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली।

सेवा में,

श्रीमान महानिबंधक,
माननीय उच्च न्यायालय,
इलाहाबाद

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,
जनपद बरेली।

विषय:- मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के पत्रांक 9691/IV-F-82 (Pension) /एडमिन ए अनुभाग दिनांकित 16.07.2024 एवं शासनादेश संख्या 14/2024/सा0-3-243/दस-2024/301(1)2024 दिनांकित 28 जून, 2024 अन्तर्गत पुरानी पेंशन चयन विकल्प पत्र पुनः प्रेषण के सम्बन्ध में,

महोदय,

1. सादर निवेदन है कि प्रार्थी की नियुक्ति उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा में उत्तर प्रदेश शासन के दिनांक 26.05.2006 के नियुक्ति आदेश (नियुक्ति अनुभाग-4, संख्या-2430/दो-4-06-32(1) 2001 टीसी-1) से हुई थी।
2. प्रार्थी ने माननीय उच्च न्यायालय के नोटिफिकेशन सं0 1057/DR(S)/2006 दिनांकित 13.06.2006 के अनुक्रम में दिनांक 15.06.2006 को जनपद चंदौली में न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था।
3. प्रार्थी की उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा नियुक्ति हेतु विज्ञापन 22-28 नवम्बर, 2003 के रोजगार समाचार में प्रकाशित विज्ञापन सं0-ए-2/ई-1/2003 के अन्तर्गत हुई थी। इस प्रकार प्रार्थी शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1) 2024, दिनांकित 28 जून, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित होने का पात्र है।
4. प्रार्थी ने शासनादेश सं0-20/2024/सा-3-276/दस-2024/301(1) 2024, दिनांकित 11 जुलाई, 2024 के अनुक्रम में पुरानी पेंशन योजना में सम्मिलित किये जाने हेतु अपना विकल्प पत्र, प्रावरण पत्र (covering letter) के साथ संलग्न कर प्रेषित किया था, जिसे श्रीमान जनपद न्यायाधीश ने पत्रांक 1902/XV, दिनांक 16.07.2024 को अग्रसारित किया था परन्तु सहवन विकल्प पत्र पर उनकी संस्तुति नहीं हो पायी थी जबकि उक्त पर कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति अनिवार्य है। अतः विकल्प पत्र श्रीमान जनपद न्यायाधीश की संस्तुति के पश्चात पुनः प्रेषित किया जा रहा है।
5. अस्तु श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी को पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये जाने हेतु विकल्प पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की महती कृपा करें।

५११५

भवदीय

दिनांक: जुलाई 25, 2024

५११५ मयंक
25/07/2024
(कुमार मयंक)

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम)/
अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली।

संलग्नक:-

पूर्व प्रेषित पत्र दिनांकित
16.07.2024 मय विकल्प पत्र।

विकल्प पत्र

1. नाम कुमार मयंक
2. वर्तमान पदनाम विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली।
3. वेतनमान ₹0 1,78,150/-
4. वर्तमान विभाग का नाम न्याय विभाग
5. राज्य सरकार के अधीन प्रथम नियुक्ति के पद पर भर्ती हेतु विज्ञापित जारी करने वाले विभाग का नाम न्याय विभाग
6. विज्ञापित की तिथि ए-2/ई-1/2003 रोजगार समाचार 22-28 नवम्बर, 2003
7. विज्ञापित के सापेक्ष नियुक्ति की तिथि 26.05.2006
8. योगदान की तिथि 15.06.2006
9. जन्मतिथि 06.09.1973
10. सेवानिवृत्ति की तिथि 30.09.2033

मैं कुमार मयंक पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री माता प्रसाद जायसवाल शासनादेश संख्या-14/2024/सा-3-243/दस-2024/301(1)/2024 दिनांक 28 जून, 2024 के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना (✓)/नवीन पेंशन योजना (✗) में सम्मिलित होने का विकल्प देता हूँ। मेरे द्वारा दिया गया यह विकल्प अंतिम समझा जाय।

31/07/2024

(कुमार मयंक)

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली

घोषणा पत्र

मैं कुमार मयंक पदनाम विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली यह घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त कम संख्या-01 से 10 तक अंकित तथ्य मेरी जानकारी में सही हैं तथा मेरे द्वारा कोई भी तथ्य छिपाया नहीं गया है।

31/07/2024

(कुमार मयंक)

विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/
अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली

सम्बन्धित कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष द्वारा भरा जायेगा।

श्री/श्रीमती कुमार मयंक पदनाम विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट)/अपर सत्र न्यायाधीश, बरेली को उपरोक्त तथ्यों के आधार पर पुरानी पेंशन योजना (✓)/नई पेंशन योजना (✗) में सम्मिलित किये जाने हेतु इस विभाग की संस्तुति/सहमति प्रदान की जाती है।

31/07/2024
कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की संस्तुति
DISTRICT JUDGE
BAREILLY